International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709, Print ISSN: 2664-8695
Received: 19-06-2022, Accepted: 06-07-2022, Published: 21-07-2022
Volume 4, Issue 2, 2022, Page No. 1-5

कृषि उपज मण्डी समितियों में उपलब्ध सुविधाओं एवं क्रियान्वित कृषि विपणन योजनाओं का कृषि विपणन पर प्रभाव– मण्डला जिला के संदर्भ में

राज कुमार सोनवानी
विभाग–अर्थशास्त्र, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
कृषि विपणन कृषि उपज के उत्पादक और क्रेता को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक सुव्यवस्थित विपणन आवश्यक है। इसके बिना उत्पादन अधूरा रह जायेगा। यदि कृषि विपणन को सुव्यवस्थित रूप से संगठित किया जाये, तो इससे कृषकों के उनके उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकता है और वह अधिकाधिक उत्पादन करने हेतु प्रेरित होगा। इसके साथ–साथ उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी होगी।

मूल शब्दः कृषि विपणन, कृषि उपज मण्डी समिति, सुविधाएँ, एवं योजनाएँ

प्रस्तावना
कृषि विपणन के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन का कृषक के यहाँ से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचने में किया जाता है। इन क्रियाओं में कृषि उपज को एकत्रित करना, उनका श्रेणीकरण करना एवं प्रमापीकरण करना, पैकेजिंग, विज्ञापन और उन्हें विक्रय करने के लिए मण्डियों व बाजारों तक ले जाना एवं उनकी बिक्री कराना, आदि को शामिल किया जाता है।
प्रो. थामसन के अनुसार– कृषि विपणन के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं एवं संस्थाओं को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा किसानों के फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल एवं उनसे निर्मित माल का फार्म से उपभोक्ताओं तक संचालन होता है।
अबॉट के अनुसार– कृषि विपणन में उन सभी कार्यों का सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं कच्चा माल फार्म से उपभोक्ता तक पहुँचता है।
कृषि विपणन उन सभी क्रियाओं व सेवाओं की ओर संकेत करता है, जिनका संबंध कृषि उत्पादों को प्रथम उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाना होता है। इसके द्वारा कृषि उत्पादों की उपयोगिता में वृद्धि होती है।
कृषि के उन्नत के साथ कृषि विपणन प्रणाली का भी उन्नत होना आवश्यक है, क्योंकि यह महसूस किया जाने लगा है कि कृषि उपजों के विपणन का उतना ही महत्व है जितना उनके उत्पादन का। विपणन की क्रिया का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इसके द्वारा उपभोग एवं उत्पादन में संतुलन ही नहीं वरन् अधिक विकास का स्वरूप भी निर्धारित होता है।

शोध के उद्देश्य
इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –
(1) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन।
(2) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा क्रियान्वित कृषि विपणन योजनाओं का अध्ययन।
(3) कृषि उपज मण्डी समिति में उपलब्ध सुविधाओं एवं कृषि विपणन योजनाओं का कृषि विपणन पर प्रभाव का अध्ययन।
(4) कृषि विपणन योजनाएँ कृषकों तथा हम्माल एवं तुलावटियों को आर्थिक सहायता करते हैं।

परिकल्पना
प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित परिकल्पनाएँ हैं –
(1) कृषि उपज मण्डी समिति मण्डी समिति द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ कृषि विपणन योजनाएँ कृषि विपणन में सहायक होते हैं।
(2) कृषि विपणन योजनाएँ कृषकों तथा हम्माल एवं तुलावटियों को आर्थिक सहायता करते हैं।

अध्ययन का क्षेत्र
अध्ययन के क्षेत्र के लिए मण्डला जिले का चयन किया गया है।

शोध प्रविधि
अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दानों प्रकार के आंकडों का उपयोग किया गया है। इन आंकड़ों का संकलन कर उनका सारणीयन एवं विश्लेषण किया गया है।

कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में उपलब्ध सुविधाएँ

(1) कव्हर्ड ऑक्शन प्लेटफार्म

कृषि उपत मण्डी समिति के प्रांगण में निलामी के माध्यम से विक्रय करने के लिए कव्हर्ड ऑक्शन प्लेटफार्म की सुविधा उपल्ब्ध होती। कृषि उपजों को कव्हर्ड ऑक्शन प्लेटफार्म में ढेरी लगाकर ही निलामी करवाया जाता है। गर्मी एवं वर्षा के समय में भी इनमें कृषकों के कृषि उपज को सुरक्षित तरीके से विक्रय कराया जाता है।

तालिका 1: मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में कव्हर्ड ऑक्शन प्लेटफार्म

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	संख्या
1	कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला	06
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया	03
3	कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर	02
योग		11

स्रोत –

1. कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला
2. कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया
3. कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर

(2) ओपन ऑक्शन प्लेटफार्म

कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में ओपन ऑक्शन प्लेटफाम की भी सुविधा उपलब्ध होती है। वर्षा काल को छोड़कर अन्य सभी सीजन में कृषि उपजों का विक्रय इन्हीं प्लेटफार्मे में ढेरी लगाकर कराया जाता है।

तालिका 2: मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में ओपन ऑक्शन प्लेटफार्म

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	संख्या
1	कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला	06
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया	01
3	कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर	00
योग		07

स्रोत –

1. कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला
2. कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया
3. कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर

(3) कृषक विश्राम गृह

कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में कृषकों को विश्राम करने के लिए कृषक विश्राम गृह की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध हैं। कृषि उपज का किसी कारणवश विक्रय नहीं होने पर कृषक इसमें रात्रिकालीन विश्राम कर सकते हैं।

तलिका 3: मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक विश्राम गृह

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	संख्या
1	कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला	01
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया	01
3	कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर	01
योग		03

स्रोत –

1. कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला
2. कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया
3. कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर

(4) भण्डारण व्यवस्था

कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में विक्रय करने के लिए आने वाले कृषकों की कृषि उपज कम भाव होने के कारण या अन्य किसी कारणवश विक्रय नहीं हो पाता तो वे उन्हें मण्डी प्रांगण में स्थित गोदामों में रियायती दर पर सुरक्षित रख सकते हैं एवं आगामी दिवसों में निलामी के माध्यम से पुनः विक्रय कर सकते हैं।

तालिका 4: मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में गोदामों का विवरण

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	गोदामों की संख्या
1	कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला	05
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया	01
3	कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर	02
योग		07

स्रोत –
1. कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला
2. कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया
3. कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर

(4) स्वच्छ पेयजल व्यवस्था

कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है। मण्डला जिले की तीनों मण्डियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था उपलब्ध होने से कृषकों एवं कृत्यकारियों को पेयजल के लिए इधर–उधर भटकना नहीं पड़ता है।

तालिका 5: मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति

कमांक	मण्डी समिति का नाम	पेय जल सुविधा का नाम एवं संख्या
1	कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला	नलकूप–02, वाटर कूलर–01
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया	नलकूप–01
3	कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर	नलकूप–02, कुआ–01

स्रोत –
1. कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला
2. कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया
3. कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर

(5) सुलभ शौचालय

कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में सुलभ शौचालय की व्यवस्था होने कृषि उपज का विक्रय करने के लिए मण्डी प्रांगण में आने वाले कृषकों को लघुशंका, दीर्घशंका एवं स्नान आदि क्रियाओं के लिए मण्डी प्रांगण के बाहर नहीं जाना पड़ता है।

(6) भुगतान व्यवस्था

कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में व्यापारियों के शॉपकम गोदाम स्थित होने से कृषकों को अपने कृषि उपज के मूल्य का भुगतान प्राप्त करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है।

तालिका 6: मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में शॉपकम गोदाम/सेन्ड्रीशॉप

कमांक	मण्डी समिति का नाम	संख्या
1	कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला	112
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया	26
3	कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर	08
योग		146

स्रोत –
1. कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला
2. कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया
3. कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर

कृषि विपणन संबंधी योजनाएँ

कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषि विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएँ संचालित की जा रही हैं

(1) कृषि विपणन पुरस्कार योजना

इस योजना का उद्देश्य मण्डी प्रांगण के बाहर होने वाले अधिसूचित कृषि उपजों के अवैध क्रय–विक्रय को हतोत्साहित एवं कृषकों को उनकी उपज मण्डी प्रांगण में विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत मण्डी समितियों द्वारा कृषि उपज का विक्रय करने वाले कृषकों के लिए कृषि विपणन पुरस्कार योजना मे बम्फर ड्रा द्वारा पुरस्कार में 'क' संवर्ग की मण्डी में 35 अश्वशक्ति का ट्रेक्टर एवं ख, ग, घ संवर्ग की मण्डी समिति में रुपये 50 हजार मूल्य के कृषि यंत्र तथा 1.00 हजार रुपये से 21.00 हजार रुपये तक के नगद पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है।
कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा इस योजना का ड्रा लाटरी द्वारा, तीन बार प्रति वर्ष निम्नलिखित अवसरों पर निकाला जाता है –

1. स्वतंत्रता दिवस – 01 जनवरी से 30 अप्रैल तक जारी भुगतान पत्रकों के लिये।
2. बलराम जयंति – 01 मई से 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रकों के लिये।
3. गणतंत्र दिवस – 16 अगस्त से 31 दिसम्बर तक जारी भुगतान पत्रकों के लिये।

(2) मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना

म.प्र. प्रदेश के कृषकों एवं ऐसे कृषि से संबद्ध कृत्यकारी जो कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन निर्वाह करते हैं, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए "मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना" सितम्बर 2008 से लागू की गई है। इस

योजनांतर्गत वर्तमान में कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में कृषक की मृत्यु होने पर सहायता राशि रुपये 4.00 लाख, स्थायी अपंगता में राशि रुपये 1.00 लाख, अस्थायी अपंगता में राशि रुपये 50.00 हजार एवं अन्तयेष्ठि सहायता राशि रुपये 4.00 हजार दिये जाने का प्रावधान है।

तालिका 7: म.प्र. में मुख्यमंत्री जीवन कल्याण योजनांतर्गत वितरित की गई सहायता राशि

क.	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	वितरित की गई सहायता राशि लाख रुपये में
1	2019–20 (नवम्बर, 2019 तक)	278	907.52
2	2020–21 (नवम्बर, 2020 तक)	240	882.75
3	2021–22(नवम्बर, 2021 तक)	272	996.88

स्रोत –
मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष, 2020–21
मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष, 2021–22

(3) कृषकों का रियायती दर पर भोजन की योजना

इस योजना के अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में कृषि उपज विक्रय करने के लिये आने वाले कृषकों को 5 रुपये प्रति थाली भोजन कराया जाता है। भोजन के मीनू में न्यूनतम 5 पूड़ियां एवं सब्जी या 6 रोटियां तथा दाल एवं सब्जी उपलब्ध करायी जाती है। यदि किसी कृषक द्वारा अतिरिक्त भोजन की मांग की जाती है तो उसे स्वयं ठेकेदार को निर्धारित मूल्य देना होता है। म.प्र. का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021–22 के अनुसार दिसम्बर, 2021 तक राज्य में 4.42 लाख रुपये इस योजन के अंतर्गत सहायता राशि वितरित की गई है।

(4) मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना

मध्य प्रदेश में किसानों को उनके कृषि उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिये राज्य शासन द्वारा पायलट आधार पर खरीफ–2017 के लिए यह योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में कृषक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज को निलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने पर राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं घोषित मण्डियों की मॉडल (वेवसमेंसम) विक्रय दर के अंतर की राशि को इस योजना के अंतर्गत किसान के खाते में जमा किया गया। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान द्वारा 11 सितम्बर, 2017 से 11 अक्टूबर, 2017 तक पंजीयन कराया जाना अनिवार्य था। यह योजना सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द एवं अरहर पर लागू की गई थी। वर्तमान में इस योजन को बंद कर दिया गया है। म.प्र. के आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष, 2020–21 के अनुसार इस योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में 896.00 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ। जिसके विरूद्ध 424.67 करोड़ रुपये का आवंटन जारी किया गया।

(5) राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना

इस योजना का शुभारंभ 14 अप्रैल, 2016 को किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रानिक व्यापार पोर्टल है। इसे भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के कृषि उपज मण्डी समितियों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़कर कोई भी कृषि उपज मण्डी, राष्ट्रीय बाजार नेटवर्क में भाग ले सकती है। इस योजना के अंतर्गत कृषक जब स्थानीय स्तर पर अपनी कृषि उपज को विक्रय करने के लिये मण्डी में पहुँते हैं तो मण्डी में पंजीकृत व्यापारियों के साथ–साथ इंटरनेट के माध्यम से अन्य राज्यों के व्यापारियों को भी अपनी कृषि उपज बेचने का विकल्प प्राप्त हो जाता है और उन्हें जहाँ बेहतर भाव मिलता है वे वहाँ अपनी कृषि उपज बेच सकते हैं।
मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020–21 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत नवम्बर, 2020 तक प्रदेश की 80 मण्डियों में 21277 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा 36.50 लाख मीटरिक टन कृषि उपज का व्यापार सम्पन्न कराया गया जिसका मूल्य लगभग 10663.21 करोड़ रुपये है। उक्त अवधि में 30.17 लाख कृषकों का पंजीयन इस पोर्टल पर किया गया है। मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021–22 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2021 तक प्रदेश की 80 मण्डियों में 22129 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा 40.91 लाख मीटरिक टन कृषि उपज का व्यापार सम्पन्न कराया गया जिसका मूल्य लगभग 13559.25 करोड़ रुपये है। उक्त अवधि में 30.22 लाख कृषकों का पंजीयन इस पोर्टल पर किया गया है।

(6) मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना

इस योजना का उद्देश्य राज्य में प्रमुख फसलों नामशः गेहूं, धान, चना, मसूर एवं सरसों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषकों को उत्साहित करने हेतु उपज के विक्रय मूल्य के अतिरिक्त कुछ प्रोत्साहन राशि देना है।

तालिका 8: मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि

कमांक	वर्ष	फसल	प्रोत्साहन राशि (रुपये प्रति क्विंटल)
1	खरीफ 2017	धान	265.00
2.	रबि 2016–17	गेंहू	200.00
3.	रबि 2017–18	गेंहू	265.00
4.	रबि 2017–18	चना, मसूर एवं सरसों	100.00

स्रोत –
कृषि उपज मण्डी समितियों के सहायक उपनिक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण, प्रकाशक : महानिदेशक, अखिल भारतीय स्थानीय संस्थान भोपाल/मुम्बई।

(7) मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 – यह योजना प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के सहायतार्थ लागू की गई है। इस योजनांतर्गत प्रसूति सहायता, विवाह, छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना में स्थायी अपंगता एवं मृत्यु की स्थिति में इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020–21 के अनुसार वर्ष 2019–20 में नवम्बर, 2020 तक 194 हितग्राहियों को राशि रुपये 23.18 लाख की सहायता वितरित की गई।

तालिका 9: मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजनांतर्गत वितरित की गई सहायता राशि

क.	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	वितरित की गई सहायता राशि लाख रुपये में
1	2020–21 (नवम्बर, 2020 तक)	194	23.18
2	2021–22 (नवम्बर, 2021 तक)	801	30.26

स्रोत –
मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष, 2020–21
मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष, 2021–22

(8) मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015
यह योजना दिनांक 07 अप्रैल, 2016 से लागू की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा किया जाता है। मण्डी समिति में कार्यरत 18 से 55 वर्ष की आयु के लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटी ही इस योजना के लिए पात्र होते हैं यदि वे सम्मिलित होना चाहें। इस योजना में हितग्राही का स्वयं का वार्षिक अंशदान न्यूनतम रुपये 1000.00 एवं अधिकतम रुपये 2000.00 होगा, जो कि उसके द्वारा प्रतिवर्ष 30 अप्रैल के पूर्व मण्डी सचिव तथा हितग्राही के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी। मण्डी समिति का अनुदान, हितग्राही द्वारा जमा की गई राशि का 50 प्रतिशत होगा और वह अधिकतम रुपये 1000.00 होगा। योजना में विनिवेश की अवधि पूर्ण हो जाने पर मण्डी बोर्ड द्वारा रुपये 1000.00 प्रतिवर्ष एकमुश्त सहायता राशि हितग्राही के खाते में जमा करने हेतु मण्डी समिति को विमुक्त की जाएगी।

निष्कर्ष
कृषि विपणन को प्रभावित करने वाले कारकों में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं क्रियान्वित योजनाओं का विशेष महत्व है। इनका कृषि विपणन पर अनुकूलत प्रभाव पड़ता है एवं अधिकाधिक संख्या में कृषक कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से अपने कृषि उपज को विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसलिए कृषि उपज मण्डी समितियों को प्रांगण में अधिकाधिक सुविधाओं का का विकास करना चाहिए। मण्डी प्रांगण में अधिकाधिक कृषकों द्वारा कृषि उपज का विक्रय करने से समाज के सभी वर्गों के विपणन उद्देश्यों की भी पूर्ति होगी।

संदर्भ सूची
1. कृषि उपज मण्डी समितियों के सहायक उपनिरीक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण, महानिदेशक अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थानः भोपाल/मुम्बई
2. गोयल, के.एल. एवं गोयल, तृप्ति. (2020). राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमीः जयपुर
3. सिंह, प्रदीप कुमार एवं सिंह, राकेश कुमार. (2018). भारतीय कृषि, बायोसाइंटिफिक पब्लीशर्सः न्यू दिल्ली
4. यादव, सुबह सिहं. (1995). कृषि विपणन, सबलाइम पब्लिकेशन्सः जयपुर
5. मिश्र, जय प्रकाश. (2021). कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्सः आगरा.
6. जैन, एस.सी.. (2020). ग्रामीण एवं कृषि विपणन, कैलाश पुस्तक सदनः भोपाल.
7. जैन,पी.सी. (2001). भारत में कृषि विकास, हिन्दी ग्रन्थ अकादमीः भोपाल